

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ मुकाम चित्तौड़गढ़मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा

बनाम


गंगाबाई वगैराहकार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 77(2) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र (रे.वि.)नं० **289**सन् **2022**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|---|--|
| 22.05.2024 | <p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अप्रार्थी की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 022/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम गंगाबाई वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (02) एवं (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 09.11.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 11,88,326/- अक्षरे ग्यारह लाख अठ्यासी हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र मुआवजा राशि का चैक अप्रार्थी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना कर उक्त मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को दिलवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। अप्रार्थीगण स्वयं ने हाजिर होकर निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान दिलवाये जाने की प्रार्थना की गई।</p> <p>वकील प्रार्थी कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी कम्पनी मुआवजा राशि का भुगतान करने हेतु तत्पर है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का चिंतन-मनन किया। प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 022/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम गंगाबाई वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (02) एवं (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 09.11.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन/आनुषांगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 11,88,326/- अक्षरे ग्यारह लाख अठ्यासी हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थीगण को भुगतान करना चाहती है एवं अप्रार्थीगण अब मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 022/2021 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम गंगाबाई वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (02) एवं (04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 09.11.2021 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थी को दिलवाया जाकर हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022/544 दिनांक 20.04.2022 से प्राप्त अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत</p> | |



| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| | <p>राशि का भुगतान कर प्रमाणित करे। उपरोक्त भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेंट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम खनन कार्य करने हेतु प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात् प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन कार्य करने हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>-S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 22.05.2024</p>  | |